

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1951]
No. 1951]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

का.आ. 2473 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, दिनांक 19.07.2013 के का.आ. सं. 1477, दिनांक 27.07.2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ यथा,

इस अधिसूचना में, अनुसूची में, 'अपर उपायुक्त, कामरूप महानगर, जिला गुवाहाटी, प्रभारी भूमि अधिग्रहण शाखा' को असम राज्य के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर, गुवाहाटी रिफाइनरी से गुवाहाटी एयरपोर्ट तक एटीएफ पाइपलाइन के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया था।

और जबकि, इस पाइपलाइन परियोजना को आईओसीएल द्वारा स्थगित कर दिया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा यथा अपेक्षित एतद्वारा गुवाहाटी रिफाइनरी से गुवाहाटी एयरपोर्ट तक एटीएफ पाइपलाइन हेतु सक्षम प्राधिकारी 'अपर उपायुक्त, कामरूप महानगर, जिला गुवाहाटी, प्रभारी भूमि अधिग्रहण शाखा' को डी-नोटिफाइड/गैर-अधिसूचित किया जाता है।

यह अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-25011/14/12-ओ आर]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2014

S.O.2473 (E).— In pursuance of, Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government in the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 1477 dated 19.07.2013, published in Gazette of India on 27.07.2013 namely :—

In the said notification, in the schedule, for the words “Additional Deputy Commissioner, Kamrup Metropolitan District, Guwahati, i/c, Land Acquisition Branch” was nominated as Competent Authority for the state of Assam on deputation to Indian Oil Corporation Limited for ATF Pipeline from Guwahati Refinery to Guwahati Airport.

And whereas, the said pipeline project was shelved by IOCL, as required the Central Government hereby declares the Competent Authority “Additional Deputy Commissioner, Kamrup Metropolitan District, Guwahati, i/c, Land Acquisition Branch” for ATF Pipeline from Guwahati Refinery to Guwahati Airport is De-notified”.

This notification is applicable from the date of issue.

[No. R-25011/14/12-O R-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.